

**न्यायालय-श्रीष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक-758 / 2015  
संस्थित दिनांक-17.08.2015  
फाइलिंग क्र.234503008732015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा चौकी उकवा, आरक्षी केन्द्र-रूपझर,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

**अभियोजन**

**// विरुद्ध //**

1-भूपेन्द्र चौकसे पिता राजेन्द्र चौकसे, उम्र-29 वर्ष, जाति कलार,  
निवासी-वार्ड नंबर-7 उकवा, थाना रूपझर,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

2-राजेन्द्र चौकसे पिता ब्रजलाल चौकसे, उम्र-55 वर्ष, जाति कलार,  
निवासी-वार्ड नंबर-7 उकवा, थाना रूपझर,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

3-ज्योति चौकसे पति राजेन्द्र चौकसे, उम्र- वर्ष, जाति कलार,  
निवासी-वार्ड नंबर-7 उकवा, थाना रूपझर,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

4-कुमारी निधि चौकसे पिता राजेन्द्र चौकसे, उम्र-24 वर्ष, जाति कलार,  
निवासी-वार्ड नंबर-7 उकवा, थाना रूपझर,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

**आरोपीगण**

**// निर्णय //**

**(आज दिनांक-22/06/2016 को घोषित)**

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498 ए एवं धारा-3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-25.06.2014 के बाद से लगातार दिनांक-25.06.2015 तक ग्राम उकवा चौकी, थाना रूपझर अंतर्गत फरियादी कंचन चौकसे के पति एवं नातेदार होते हुए दहेज की मांग को लेकर फरियादी कंचन चौकसे को मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया एवं फरियादी कंचन चौकसे से विवाह के पश्चात् अधिक दहेज की मांग की।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी कंचन चौकसे ने दिनांक-27.05.2015 को पुलिस थाना छिन्दवाड़ा में यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह प्रियदर्शनी कॉलोनी छिन्दवाड़ा में निवास करती है। उसका विवाह आरोपी भूपेन्द्र पिता राजेन्द्र चौकसे से वर्ष 2014 में हुआ था। उसके विवाह में उसके पिता ने दहेज के रूप में गृहस्थी का सभी सामान दिया था। विवाह के पश्चात् से उसका पति तथा पति के रिश्तेदार दहेज की बात को लेकर उसे ताना देते थे और उसके साथ मारपीट करते थे। जुलाई

2014 में उसके पति तथा ससुराल वालों ने एक कार तथा 2 लाख रुपये के दहेज की मांग की एवं उसके साथ मारपीट कर उसे शारीरिक प्रताड़ना दी। उसके पश्चात् से लगातार उसके पति तथा ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा उसे लगातार शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना दहेज की मांग को लेकर दी जाने लगी। उसने संबंध खराब न हो, इसलिए इस विषय में पुलिस में रिपोर्ट नहीं की, परंतु अप्रैल माह 2015 में उसके पति, सास, ससुर तथा ननद ने उसके साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। आरोपीगण ग्राम उकवा, तहसील बैहर, जिला बालाघाट में निवास करते हैं। उपरोक्त आधार पर आरक्षी केन्द्र देहात, जिला छिन्दवाड़ा में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-0/15, भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498(ए), 34 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, जिसे असल नंबर पर थाना रूपझर, जिला बालाघाट में अपराध क्रमांक-120/15 में दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया। पुलिस द्वारा गवाहों के कथन लिये गये। पुलिस द्वारा फरियादी कंचन चौकसे एवं उसके परिजन द्वारा पेश करने पर शादी का निमंत्रण पत्र, फोटोग्राफ एवं दहेज के सामन की सूची जप्त कर जप्तीपत्रक तैयार किया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगण के विरुद्ध धारा-3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का ईजाफा किया गया एवं आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498(ए) एवं धारा-3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा-313 द.प्र. सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया गया होना बताया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-25.06.2014 के बाद से लगातार दिनांक-25.06.2015 तक ग्राम उकवा चौकी, थाना रूपझर अंतर्गत फरियादी कंचन चौकसे के पति एवं नातेदार होते हुए दहेज की मांग को लेकर फरियादी कंचन चौकसे को मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया ?
2. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी कंचन चौकसे से विवाह के पश्चात् अधिक दहेज की मांग की ?

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 व 2 का निष्कर्ष :-

5— सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

6— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी कंचन चौकसे (अ.सा.1) ने अपने कथन में कहा है कि वह आरोपीगण को जानती है। आरोपी भूपेन्द्र उसका पति है, आरोपी राजेन्द्र उसके ससुर हैं, आरोपी ज्योति उसकी सास है तथा आरोपी निधि उसकी ननद है। घटना जून वर्ष 2014 की है। विवाह के पश्चात् उसके पति से उसका घरेलु बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसकी रिपोर्ट उसने थाना देहात, जिला छिन्दवाड़ा में दर्ज करा दी थी। विवाद के विषय में उसने एक लिखित आवेदनपत्र थाने में दिया था, जो प्रदर्श पी-1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये हैं। पुलिस ने लिखित आवेदन के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 लेख की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। पुलिस ने घटना का मौकानक्शा प्रदर्श पी-3 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किया था। पुलिस ने उसके समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि वर्ष 2014-15 में आरोपीगण ने दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट की थी और उसके साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया था। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि आरोपीगण दहेज की मांग करते थे और उससे कार एवं 2 लाख रुपये मांगते थे। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि उसके लिखित आवेदन प्रदर्श पी-1 तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 में दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने वाली बात लेख कराई थी।

7— अभियोजन साक्षी चंद्रकला चौकसे (अ.सा.2) ने अपने कथन में कहा है कि वह आरोपीगण को पहचानती है। वे उसकी बेटी के ससुराल वाले हैं। उसकी बेटी का विवाह वर्ष 2014 में हुआ था। उसकी बेटी एवं दामाद का किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसकी जानकारी उसे नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि आरोपीगण ने उसकी पुत्री से 2 लाख रुपये दहेज की मांग की थी। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि उसकी पुत्री ने बताया था कि आरोपीगण उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं।

8— अभियोजन साक्षी महेश कुमार चौकसे (अ.सा.3) ने अपने कथन में कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। आरोपीगण उसकी पुत्री के ससुराल पक्ष के लोग हैं। उसकी पुत्री का विवाह वर्ष 2014 में हुआ था। उसकी पुत्री ने उसे नहीं बताया था कि आरोपीगण दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट करते हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसकी पुत्री ने बताया था कि आरोपीगण उसकी बेटी के साथ मारपीट कर कार एवं 2 लाख रुपये की मांग करते हैं। साक्षी ने अपने पुलिस कथन प्रदर्श पी-7 में आरोपीगण द्वारा दहेज में कार एवं 2 लाख रुपये मांगने वाली बात नहीं लिखाई थी।

9- आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498ए तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-3 के अंतर्गत अपराध किये जाने का अभियोग है। अभियोजन साक्षी फरियादी कंचन चौकसे ने यह कहा है कि उसका घरेलु बात को लेकर उसके पति से विवाद हुआ था, जिसके विषय में पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। साक्षी ने यह नहीं कहा है कि आरोपीगण उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। अभिलेख पर उभयपक्ष द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया है, जिससे उनके मध्य विवाद न होना प्रकट हो रहा है। अभियोजन साक्षी चंद्रकला चौकसे (अ.सा.2) तथा महेश कुमार चौकसे (अ.सा.3) ने कहा है कि आरोपीगण उसकी पुत्री को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करते थे एवं न ही दहेज की मांग करते थे। ऐसी स्थिति में आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498(ए) एवं धारा-3 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध किये जाने के तथ्य सन्देह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते। फलस्वरूप आरोपीगण को उपरोक्त धाराओं में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

10- प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा 437 (क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

11- प्रकरण में आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहे हैं। उक्त के संबंध में धारा-428 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अंतर्गत पृथक से प्रमाणपत्र तैयार किया जाये।

12- प्रकरण में जप्तशुदा निमंत्रण कार्ड फोटोग्राफ, वीडियो सी.डी. एवं दहेज के सामन की सूची अपील अवधि पश्चात् मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर  
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

सही/-

बैहर,  
दिनांक-22.06.2016

(श्रीष कैलाश शुक्ल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट